तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
1-11-2017	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। विपक्षी क्रमांक 1, 2 के नोटिश तामील हो गए थे। बाकी की तकरार कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी अधिवक्ता मुकेश जाकड़ ने मामले में अब तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है व उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र है कि ग्राम पण्डेर में विपक्षी क्रमांक 1 के पिता नेमीचन्द जाकड़ की खातेदारी में आराजियात थी जो उनकी मृत्यु पश्चात विरासत में उनके पुत्र मोहनलाल, गोपाल के नाम दर्ज हुई। जिसका आपसी बंटवारा विपक्षीगण ने [illegible] करवा लिया। पुश्तैनी खाता के [illegible] भूमि में विपक्षी क्रमांक 2 की 1/4 हिस्से में भूमि है, प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है। भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से भूमि विपक्षीगण को बेचान करने पर उतारू हैं। विपक्षीगण को बेचान किये जाने से पाबन्द फरमाया जावे। विपक्षी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने पुश्तैनी भूमि [illegible] हिस्सा बंटवारे हेतु पत्रावली भी पेश की है, तो किन्तु प्रार्थना पत्र का विनिश्चय करते हुए title का प्रश्न व हस्तक्षेप भूमि का विनिश्चय नहीं किया जा सकता, इस पर विचार फरमाया जाता है	

उपखण्ड अधिकारी
सहाड़ा जि. भीलवाड़ा

फर्द अहकाम

नियम 26

नम्बर मुकदमा .... मुकाम बिजौलिया ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स अब	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	प्रार्थी के पक्ष में नहीं है प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी व उनके पिता राधेश्याम धाकड़ के नाम कोई भूमि वर्तमान में दर्ज अभिलेख नहीं है ग्राम थडोदा के खाता संख्या 337 पर नामा. सं. 1580 विनोद व मोहन पिता नेमीचन्द धाकड़ के नाम पर आराजी 106/1, 344, 369, 851, 857, 939/1 939/2, 940, 1334, 1336, 1339/1, 947/1 किता 12 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा तथा गोपाल पिता नेमीचन्द धाकड़ के नाम आराजी नं. 106/2, 344/1 369/1, 851/1, 857/2, 939, 947/2, 1334/1, 1336/1 1339/2 किता 10 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज है उक्त खाते में प्रार्थी व उनके पिता का नाम दर्ज नहीं है प्रार्थी व उनके पिता का हिस्सा बनता है या नहीं। पुश्तैनी भूमि में हक बनता है या नहीं। यह तथ्य मूल वाद में प्रस्तुत होने वाली साक्ष्य से सिद्ध होगा। प्रस्तुत प्रकरण में title सम्बन्धी नहीं है भूमि विपक्षीगणों के पिता के नाम दर्ज	

उपखण्ड अधिकारी,
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

P.T.O

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

होने से कब्जा भी प्रार्थी का नहीं माना
जा सकता। जब कि प्रार्थी के नाम
पर दर्ज नहीं है तो किसी प्रकार भी
तहसीलदार आदि भी प्रार्थी को नहीं दी
रही थी जो कि किया निरस्त प्रार्थी के
पक्ष में नहीं थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
खारिज योग्य है
अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.का.अधि. 1955
खारिज किया जाता है
पत्रावली नतीजा से दर्ज की जाकर
शुमार फैसला हो। फैसला आज के नाम
[illegible]
आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा